रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17062026-273533
CG-DL-E-17062026-273533

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3069] नई दिल्ली, बुधवार, जून 17, 2026/ज्येष्ठ 27, 1948
No. 3069] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 17, 2026/JYAISTHA 27, 1948

भारी उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2026

का.आ. 3191(अ).—पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम।

पृष्ठभूमि

1. भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित का.आ. 4259 (अ), दिनांक 29 सितम्बर, 2024 के माध्यम से पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट स्कीम ("पीएम ई-ड्राइव" अथवा "स्कीम") अधिसूचित की गई थी।
2. यह अधिसूचना विशेष रूप से इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस (ई-एम्बुलेंस) के लिए जारी की जा रही है तथा इसे उक्त स्कीम के साथ पढ़ा जाएगा। यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

अर्हता

3. केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के अंतर्गत अधिसूचित ऑटोमोटिव उद्योग मानक एआईएस-125 (भाग-1): सड़क एम्बुलेंसों हेतु निर्माण संबंधी एवं कार्यात्मक आवश्यकताओं में परिभाषित ई-एम्बुलेंसों की निम्नलिखित श्रेणियां स्कीम के अंतर्गत मांग प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु पात्र होंगी, अर्थात्:–

क. रोगी परिवहन वाहन (पीटीवी) अथवा "टाइप-बी";
ख. बुनियादी जीवन रक्षक (बीएलएस) एम्बुलेंस अथवा "टाइप-सी"; तथा
ग. उन्नत जीवन रक्षक (एएलएस) एम्बुलेंस अथवा "टाइप-डी"।

4. ई-एम्बुलेंसों को एआईएस-145 (श्रेणी एम एवं एन वाहनों हेतु अतिरिक्त सुरक्षा विशेषताएं), एआईएस-038 (संशोधन-2) (वाहनों के इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन हेतु विशिष्ट आवश्यकताएं) तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) द्वारा समय-समय पर जारी अन्य सभी प्रासंगिक विनियमों का अनुपालन करना होगा।
5. केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के विभागों एवं उनकी एजेंसियों/लोक उपक्रमों को भी मांग प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु पात्र माना जाएगा। ये प्रोत्साहन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अथवा अन्य किसी सरकारी स्कीम/कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त की जाने वाली वित्तीय अथवा अन्य प्रकार की सहायता के अतिरिक्त होगा।
6. पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत मांग प्रोत्साहन हेतु पात्रता को, स्वतः, राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा (एनएएस)/राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत तैनाती हेतु प्रचालन स्वीकृति के रूप में नहीं माना जाएगा। ऐसी तैनाती के लिए क्रयकारी एजेंसियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू), राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा (एनएएस) के प्रचलित प्रचालन दिशा-निर्देशों तथा एम्बुलेंस विन्यास संबंधी अपेक्षित मानकों/आवश्यकताओं का पूर्ण अनुपालन किया गया हो।
7. विशुद्ध ई-एम्बुलेंसों के लिए निष्पादन एवं दक्षता संबंधी पात्रता मानदंड **अनुलग्नक-3 ख** के अनुसार होंगे।
8. समर्थित किए जाने वाले वाहनों की लक्षित संख्या, प्रति किलोवाट-घंटा प्रोत्साहन, भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा कुल निधि सहायता तथा अन्य विवरण **अनुलग्नक-4 ख** के अनुसार होंगे।

मांग प्रोत्साहन

9. ई-एम्बुलेंस का एक्स-फैक्टरी मूल्य, सीएमवीआर के अंतर्गत अधिसूचित एआईएस-125 (भाग-1) की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा। ई-एम्बुलेंस में उपलब्ध कराए गए किसी भी अतिरिक्त घटक/प्रणाली/उपकरण का पृथक रूप से इन्वॉइस किया जाएगा तथा उसे ई-एम्बुलेंस के एक्स-फैक्टरी मूल्य में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इस आशय का एक वचन-पत्र वाहन विनिर्माता द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।
10. ई-एम्बुलेंसों को प्रदान की जाने वाली मांग प्रोत्साहन राशि वह होगी जो निम्नलिखित में से कम हो:–

क) ₹ 30,000 × बैटरी क्षमता (किलोवाट-घंटा (केडब्ल्यूएच) में); तथा
ख) वाहन के एक्स-फैक्टरी मूल्य का 35% ।

मांग प्रोत्साहन प्राप्त करने की शर्तें

11. ई-एम्बुलेंसों के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) **अनुलग्नक-5 ख** में उल्लिखित है।
12. ई-एम्बुलेंसों के लिए वारंटी संबंधी आवश्यकताएं नीचे दी गई तालिका-1 के अनुसार होंगी:–

तालिका-1 : ई-एम्बुलेंसों हेतु न्यूनतम वारंटी (टाइप-बी, सी, डी)

क्र. सं.	श्रेणी	न्यूनतम वारंटी		
		बैटरी (वर्ष अथवा किलोमीटर, जो भी पहले हो)	मोटर (वर्ष अथवा किलोमीटर, जो भी पहले हो)	वाहन (वर्ष अथवा किलोमीटर, जो भी पहले हो)
1	M1, M2 या M3 कैटेगरी पर आधारित ई-एम्बुलेंस (पूरी तरह से इलेक्ट्रिक)	5 वर्ष अथवा 1,25,000 किलोमीटर	5 वर्ष अथवा 1,25,000 किलोमीटर	5 वर्ष अथवा 1,25,000 किलोमीटर

[फा. सं. 12(29)/2025-AEI(31016)]

डॉ. हनीफ कुरैशी, अपर सचिव

अनुलग्नक–3 ख

पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत ई-एम्बुलेंसों हेतु निष्पादन और दक्षता संबंधी पात्रता मानदंड

तालिका-1 : पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ई-एम्बुलेंस के लिए निष्पादन और क्षमता के मानक (एम1/एम2 श्रेणी के वाहन पर आधारित)

क्र. सं.	वाहन खंड*1	वाहन श्रेणी*1	वाहन मॉडल पात्रता मानदंड (अनुलग्नक में निर्दिष्ट मानकों/प्रक्रियाओं के अनुसार मापन किया जाएगा)			
			न्यूनतम रेंज*2 (कि.मी.)	अधिकतम इलेक्ट्रिक ऊर्जा खपत*2 (किलोवाट-घंटा/100 कि.मी.)	न्यूनतम अधिकतम गति*3 (कि.मी./घंटा)	न्यूनतम त्वरण*3 (मीटर/सेकंड²)
1	ई-एम्बुलेंस (टाइप बी, सी एवं डी)	एम1 (लंबाई 4 मीटर से कम)	140	15 से अधिक नहीं	70	1.04
		एम1 (लंबाई >= 4 मीटर)	140	20 से अधिक नहीं	70	1.04
2	ई-एम्बुलेंस (टाइप बी, सी एवं डी)	एम2	140	50 से अधिक नहीं	70	1.04

टिप्पणी:

*1 केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 (सीएमवीआर) में यथापरिभाषित तथा समय-समय पर यथासंशोधित इन नियमों के अनुसार अनुमोदित टाइप।

*2 केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 (सीएमवीआर) में निर्दिष्ट लागू परीक्षण मानक/प्रक्रिया के अनुसार।

*3 मापन, सकल वाहन भार (जीवीडब्ल्यू) पर किया जाएगा।

तालिका-2: शुद्ध इलेक्ट्रिक ई-एम्बुलेंस (एम3 श्रेणी के वाहन पर आधारित) के लिए कार्य-निष्पादन और ऊर्जा दक्षता के पात्रता मानदंड।

क्र. सं.	वाहन खंड*1	वाहन श्रेणी*1	वाहन मॉडल हेतु पात्रता मानदंड					
			न्यूनतम रेंज*2 (कि.मी.	न्यूनतम रेंज*3 (कि.मी.)	अधिकतम इलेक्ट्रिक ऊर्जा खपत*4 (किलोवाट-घंटा/100 कि.मी.)	न्यूनतम अधिकतम गति*5 (कि.मी./घंटा)	न्यूनतम त्वरण*5 (मीटर/सेकंड²)	न्यूनतम ग्रेडेबिलिट*5 (डिग्री)
1	ई-एम्बुलेंस (टाइप बी, सी एवं डी)	एम3 (लंबाई 9 मीटर तक)	140	120	100 से कम	70	0.8	9.7 (17%)
2	ई-एम्बुलेंस (टाइप बी, सी एवं डी)	एम3 (लंबाई 9 मीटर से अधिक तथा 12 मीटर तक)	140	120	140 से कम	70	0.8	9.7 (17%)

टिप्पणी :

*1 केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 (सीएमवीआर) में यथापरिभाषित तथा समय-समय पर यथासंशोधित इन नियमों के अनुमोदित टाइप।

*2 केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 (सीएमवीआर) में निर्दिष्ट लागू परीक्षण मानक/प्रक्रिया के अनुसार।

*3 मापन, सकल वाहन भार (जीवीडब्ल्यू) पर तथा एचवीएसी/वीएसी (यदि वाहन में स्थापित हो) के संचालन की स्थिति में (निर्धारित तापमान 24 ± 4 डिग्री सेल्सियस) पर किया जाएगा।

*4 मापन, पीएम ई-ड्राइव पात्रता मूल्यांकन प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

*5 मापन, सकल वाहन भार (जीवीडब्ल्यू) पर किया जाएगा।

अनुलग्नक–4 ख

ई-एम्बुलेंसों के लिए मांग प्रोत्साहन, समर्थित ई-एम्बुलेंसों की संभावित संख्या और अन्य विवरण।

क्र.सं.	वाहन खंड*1	समर्थित किए जाने वाले वाहनों की सांकेतिक संख्या		वाहनों हेतु प्रोत्साहन	भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा कुल वित्तीय सहायता (करोड़ रुपए में)
		वित्तवर्ष 2026-27	वित्तवर्ष 2027-28		
1	ई-एम्बुलेंस	1,797	2,014	₹ 30,000/केडब्ल्यूएच*	500

*ई-एम्बुलेंसों हेतु देय मांग प्रोत्साहन राशि वह होगी जो निम्नलिखित में से कम हो:

(क) ₹ 30,000 प्रति किलोवाट-घंटा (केडब्ल्यूएच) बैटरी क्षमता के अनुसार गणना की गई राशि; तथा

(ख) वाहन के एक्स-फैक्टरी मूल्य का 35 %।

अनुलग्नक–5 ख

वाहन श्रेणी ई एम्बुलेंस-टाइप बी, सी एवं डी" (शुद्ध इलेक्ट्रिक) हेतु चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी)

क्र.सं.	पीएमपी घटक	पीएमपी आवश्यकता (एम1/एम2 श्रेणी के वाहन पर आधारित)	पीएमपी आवश्यकता (एम3 श्रेणी के वाहन पर आधारित)
1	**एचवीएसी (हिटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम) (यदि फिट किया गया हो)**	**अधिसूचना की तिथि से** एचवीएसी (तापन, वायु-संचारण एवं वातानुकूलन प्रणाली) का विनिर्माण, जिसमें कम-से-कम ब्लोअरों का फिटमेंट, इलेक्ट्रिक कंप्रेशर का फिटमेंट, चिलर यूनिट का फिटमेंट, हीटर (यदि उपलब्ध कराया गया हो) का फिटमेंट, वायु परिसंचरण वेंटों का फिटमेंट, फिल्टर का फिटमेंट, नियंत्रण पैनल/इकाई का फिटमेंट तथा एचएमआई कंसोल का फिटमेंट सम्मिलित हो, देश में किया जाएगा।	**अधिसूचना की तिथि से** एचवीएसी (तापन, वायु-संचारण एवं वातानुकूलन प्रणाली) का विनिर्माण, जिसमें कम-से-कम ब्लोअरों का फिटमेंट, इलेक्ट्रिक कंप्रेशर का फिटमेंट, चिलर यूनिट का फिटमेंट, हीटर (यदि उपलब्ध कराया गया हो) का फिटमेंट, वायु परिसंचरण वेंटों का फिटमेंट, फिल्टर का फिटमेंट, नियंत्रण पैनल/इकाई का फिटमेंट तथा एचएमआई कंसोल का फिटमेंट सम्मिलित हो, देश में किया जाएगा।
2	**ब्रेक के लिए इलेक्ट्रिक कंप्रेशर (यदि फिट किया गया हो)**	**अधिसूचना की तिथि से** ब्रेक हेतु इलेक्ट्रिक कंप्रेशर का विनिर्माण, जिसमें कम-से-कम केबल का फिटमेंट, कनेक्टर का फिटमेंट, हीट-सिंक का फिटमेंट, एनक्लोजर का फिटमेंट, मोटर का फिटमेंट तथा स्क्रॉल/ रेसिप्रोकेटिंग/वेन/स्क्रू का फिटमेंट सम्मिलित हो, देश में किया जाएगा।	**अधिसूचना की तिथि से** ब्रेक हेतु इलेक्ट्रिक कंप्रेशर का विनिर्माण, जिसमें कम-से-कम केबल का संस्थापन, कनेक्टर का संस्थापन, हीट-सिंक का संस्थापन, एनक्लोजर का संस्थापन, मोटर का संस्थापन तथा स्क्रॉल/ रेसिप्रोकेटिंग /वेन/स्क्रू का संस्थापन सम्मिलित हो, देश में संपादित किया जाएगा।
3	**चार्जिंग इनलेट सीसीएस-2**	**अधिसूचना की तिथि से** चार्जिंग इनलेट का विनिर्माण, जिसमें कम-से-कम कॉन्टैक्ट पिन का फिटमेंट, केबल इन्टीग्रेशन तथा हाउसिंग फिटमेंट सम्मिलित हो, देश में किया जाएगा।	**अधिसूचना की तिथि से** चार्जिंग इनलेट का विनिर्माण, जिसमें कम-से-कम कॉन्टैक्ट पिन का फिटमेंट, केबल इन्टीग्रेशन तथा हाउसिंग फिटमेंट सम्मिलित हो, देश में किया जाएगा।
4	**ट्रैक्शन बैटरी पैक**	**अधिसूचना की तिथि से** ट्रैक्शन बैटरी पैक का विनिर्माण, जिसमें कम-से-कम सेल-से-सेल फिटमेंट, बस-बार का फिटमेंट, सेंसरों का संस्थापन, वायरिंग एवं क्रिम्पिंग, कनेक्टर का फिटमेंट, सुरक्षा उपकरणों का फिटमेंट, बीएमएस तथा तापीय प्रबंधन प्रणाली का एकीकरण, प्रेशर रिलीज वाल्व का फिटमेंट तथा एनक्लोजर फिटमेंट सम्मिलित हो, देश में किया जाएगा। बैटरी मॉड्यूलों के आयात की अनुमति नहीं होगी।	**अधिसूचना की तिथि से** ट्रैक्शन बैटरी पैक का विनिर्माण, जिसमें न्यूनतम रूप से सेल-से-सेल फिटमेंट, बस-बार फिटमेंट, सेंसर्स का संस्थापन, वायरिंग एवं क्रिम्पिंग, कनेक्टर्स का फिटमेंट, सुरक्षा उपकरणों का फिटमेंट, बीएमएस तथा तापीय प्रबंधन प्रणाली का एकीकरण, प्रेशर रिलीज वाल्व का फिटमेंट तथा एनक्लोजर फिटमेंट सम्मिलित हो, देश में किया जाएगा।

क्र.सं.	पीएमपी घटक	पीएमपी आवश्यकता (एम1/एम2 श्रेणी के वाहन पर आधारित)	पीएमपी आवश्यकता (एम3 श्रेणी के वाहन पर आधारित)
5	**बैटरी प्रबंधन प्रणाली (बीएमएस)**	**1 मार्च, 2027 से प्रभावी** बीएमएस का विनिर्माण, जिसमें न्यूनतम पीसीबी पर इलेक्ट्रॉनिक घटकों, सेमिकंडक्टर्स तथा कनेक्टर्स का फिटमेंट, वायरिंग, कनेक्टर का फिटमेंट, हीट-सिंक का फिटमेंट (यदि उपलब्ध कराया गया हो), एनक्लोजर फिटमेंट तथा सॉफ्टवेयर/फर्मवेयर की फ्लैशिंग कार्य सम्मिलित हो, देश में किया जाएगा। 28 फरवरी, 2027 तक बीएमएस के आयात की अनुमति दी जा सकेगी।	**अधिसूचना की तिथि से** बीएमएस का विनिर्माण, जिसमें न्यूनतम पीसीबी पर इलेक्ट्रॉनिक घटकों, सेमिकंडक्टर्स तथा कनेक्टर्स का फिटमेंट, वायरिंग, कनेक्टर्स का फिटमेंट, हीट-सिंक फिटमेंट (यदि उपलब्ध कराया गया हो), एनक्लोजर फिटमेंट तथा सॉफ्टवेयर/फर्मवेयर की फ्लैशिंग सम्मिलित हो, देश में किया जाएगा।
6	**डीसी-डीसी कनवर्टर**	**1 सितंबर, 2026 से प्रभावी** डीसी-डीसी कनवर्टर का विनिर्माण, जिसमें कम-से-कम असेम्बल्ड पीसीबी (पीसीबीए) का इन्टीग्रेशन, वायरिंग एवं क्रिम्पिंग, कनेक्टर का फिटमेंट, हीट-सिंक फिटमेंट, एनक्लोजर फिटमेंट तथा सॉफ्टवेयर/फर्मवेयर फ्लैशिंग सम्मिलित हो, देश में किया जाएगा। **1 मार्च, 2027 से प्रभावी** डीसी-डीसी कनवर्टर का विनिर्माण, जिसमें कम-से-कम पीसीबी पर इलेक्ट्रॉनिक घटकों, सेमिकंडक्टर्स तथा कनेक्टर्स का फिटमेंट, वायरिंग एवं क्रिम्पिंग, कनेक्टर का फिटमेंट, हीट-सिंक फिटमेंट, एनक्लोजर फिटमेंट तथा सॉफ्टवेयर/फर्मवेयर की फ्लैशिंग सम्मिलित हो, देश में किया जाएगा। 31 अगस्त, 2026 तक डीसी-डीसी कनवर्टर के आयात की अनुमति दी जा सकेगी।	**अधिसूचना की तिथि से** डीसी-डीसी कनवर्टर का विनिर्माण, जिसमें कम-से-कम पीसीबी पर इलेक्ट्रॉनिक घटकों, सेमिकंडक्टर्स तथा कनेक्टर्स का फिटमेंट, वायरिंग एवं क्रिम्पिंग, कनेक्टर्स का फिटमेंट, हीट-सिंक फिटमेंट, एनक्लोजर फिटमेंट तथा सॉफ्टवेयर/फर्मवेयर की फ्लैशिंग सम्मिलित हो, देश में किया जाएगा।
7	**वाहन नियंत्रण इकाई**	**1 सितंबर, 2026 से प्रभावी** वाहन नियंत्रण इकाई (वीसीयू) का विनिर्माण, जिसमें कम-से-कम पीसीबी पर इलेक्ट्रॉनिक घटकों, सेमिकंडक्टर्स तथा कनेक्टर्स का फिटमेंट, वायरिंग, कनेक्टर का फिटमेंट, हीट-सिंक फिटमेंट, एनक्लोजर फिटमेंट तथा सॉफ्टवेयर/फर्मवेयर की फ्लैशिंग सम्मिलित हो, देश में किया जाएगा।	**अधिसूचना की तिथि से** वाहन नियंत्रण इकाई (वीसीयू) का विनिर्माण, जिसमें कम-से-कम पीसीबी पर इलेक्ट्रॉनिक घटकों, सेमिकंडक्टर्स तथा कनेक्टर्स का फिटमेंट, वायरिंग, कनेक्टर का फिटमेंट, हीट-सिंक फिटमेंट, एनक्लोजर फिटमेंट तथा सॉफ्टवेयर/फर्मवेयर की फ्लैशिंग सम्मिलित हो, देश में किया जाएगा।

क्र.सं.	पीएमपी घटक	पीएमपी आवश्यकता (एम1/एम2 श्रेणी के वाहन पर आधारित)	पीएमपी आवश्यकता (एम3 श्रेणी के वाहन पर आधारित)
8	**ट्रैक्शन मोटर**	**1 सितंबर, 2026 से प्रभावी** ट्रैक्शन मोटर का विनिर्माण, जिसमें कम-से-कम रोटर असेंबली का मोटर में फिटमेंट, स्टेटर असेंबली का मोटर में फिटमेंट, शाफ्ट फिटमेंट, बियरिंग फिटमेंट, एनक्लोजर फिटमेंट, कनेक्टर्स का फिटमेंट तथा केबलों का फिटमेंट सम्मिलित हो, देश में किया जाएगा। **1 मार्च, 2027 से प्रभावी** ट्रैक्शन मोटर का विनिर्माण, जिसमें कम-से-कम मैग्नेट फिटमेंट, रोटर असेंबली का मोटर में फिटमेंट, स्टेटर असेंबली का मोटर में फिटमेंट, शाफ्ट फिटमेंट, बियरिंग फिटमेंट, एनक्लोजर फिटमेंट, कनेक्टर्स का फिटमेंट तथा केबलों का फिटमेंट सम्मिलित हो, देश में किया जाएगा।	**1 सितंबर, 2026 से प्रभावी** ट्रैक्शन मोटर का विनिर्माण, जिसमें कम-से-कम मैग्नेट फिटमेंट, रोटर असेंबली का मोटर में फिटमेंट, स्टेटर असेंबली का मोटर में फिटमेंट, शाफ्ट फिटमेंट, बियरिंग फिटमेंट, एनक्लोजर फिटमेंट, कनेक्टर्स का फिटमेंट तथा केबलों का फिटमेंट सम्मिलित हो, देश में किया जाएगा।
9	**इनवर्टर सहित ट्रैक्शन मोटर कंट्रोलर**	**1 सितंबर, 2026 से प्रभावी** इन्वर्टर सहित ट्रैक्शन मोटर कंट्रोलर का विनिर्माण, जिसमें कम-से-कम असेम्बल्ड पीसीबी (पीसीबीए) का एकीकरण, हाई-वोल्टेज युक्त कनेक्टर्स का फिटमेंट, केबलों का फिटमेंट, हीट-सिंक फिटमेंट, एनक्लोजर फिटमेंट तथा सॉफ्टवेयर/फर्मवेयर की फ्लैशिंग सम्मिलित हो, देश में किया जाएगा। **1 मार्च, 2027 से प्रभावी** इन्वर्टर सहित ट्रैक्शन मोटर कंट्रोलर का विनिर्माण, जिसमें कम-से-कम पीसीबी पर इलेक्ट्रॉनिक घटकों, सेमिकंडक्टर्स तथा कनेक्टर्स का फिटमेंट, हाई-वोल्टेज युक्त कनेक्टर्स का फिटमेंट, केबलों का फिटमेंट, हीट-सिंक फिटमेंट, एनक्लोजर फिटमेंट तथा सॉफ्टवेयर/फर्मवेयर की फ्लैशिंग सम्मिलित हो, देश में किया जाएगा। 31 अगस्त, 2026 तक इन्वर्टर सहित ट्रैक्शन मोटर कंट्रोलर के आयात की अनुमति दी जा सकेगी।	**अधिसूचना की तिथि से** इन्वर्टर सहित ट्रैक्शन मोटर कंट्रोलर का विनिर्माण, जिसमें कम-से-कम पीसीबी पर इलेक्ट्रॉनिक घटकों, सेमिकंडक्टर्स तथा कनेक्टर्स का फिटमेंट, हाई-वोल्टेज युक्त कनेक्टर्स का फिटमेंट, केबलों का फिटमेंट, हीट-सिंक फिटमेंट, एनक्लोजर फिटमेंट तथा सॉफ्टवेयर/फर्मवेयर की फ्लैशिंग सम्मिलित हो, देश में किया जाएगा।

क्र.सं.	पीएमपी घटक	पीएमपी आवश्यकता (एम1/एम2 श्रेणी के वाहन पर आधारित)	पीएमपी आवश्यकता (एम3 श्रेणी के वाहन पर आधारित)
10	**इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर**	**अधिसूचना की तिथि से** इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का विनिर्माण, जिसमें कम-से-कम पीसीबी पर इलेक्ट्रॉनिक घटकों, सेमिकंडक्टर्स तथा कनेक्टर्स का फिटमेंट, डिस्प्ले यूनिट फिटमेंट, वायरिंग, कनेक्टर्स का फिटमेंट, हीट-सिंक फिटमेंट, एनक्लोजर फिटमेंट तथा सॉफ्टवेयर/फर्मवेयर की फ्लैशिंग सम्मिलित हो, देश में किया जाएगा।	**अधिसूचना की तिथि से** इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का विनिर्माण, जिसमें कम-से-कम पीसीबी पर इलेक्ट्रॉनिक घटकों, सेमिकंडक्टर्स तथा कनेक्टर्स का फिटमेंट, डिस्प्ले यूनिट फिटमेंट, वायरिंग, कनेक्टर्स का फिटमेंट, हीट-सिंक फिटमेंट, एनक्लोजर फिटमेंट तथा सॉफ्टवेयर/फर्मवेयर की फ्लैशिंग सम्मिलित हो, देश में किया जाएगा।
11	**आईसी-सीपीडी चार्जिंग केबल सहित ऑन-बोर्ड चार्जर**	**1 सितंबर, 2026 से प्रभावी** आईसी-सीपीडी चार्जिंग केबल सहित ऑन-बोर्ड चार्जर का फिटमेंट, जिसमें कम-से-कम संयोजित पीसीबी (पीसीबीए) का एकीकरण, वायरिंग, कनेक्टर्स का फिटमेंट, हीट-सिंक फिटमेंट, एनक्लोजर फिटमेंट तथा सॉफ्टवेयर/फर्मवेयर की फ्लैशिंग सम्मिलित हो, देश में किया जाएगा। **1 मार्च, 2027 से प्रभावी** आईसी-सीपीडी चार्जिंग केबल सहित ऑन-बोर्ड चार्जर का फिटमेंट, जिसमें कम-से-कम पीसीबी पर इलेक्ट्रॉनिक घटकों, सेमिकंडक्टर्स तथा कनेक्टर्स का फिटमेंट, वायरिंग, कनेक्टर्स का फिटमेंट, हीट-सिंक का फिटमेंट, एनक्लोजर फिटमेंट तथा सॉफ्टवेयर/फर्मवेयर की फ्लैशिंग सम्मिलित हो, देश में किया जाएगा। 31 अगस्त, 2026 तक आईसी-सीपीडी केबल सहित ऑन-बोर्ड चार्जर के आयात की अनुमति दी जा सकेगी।	**अधिसूचना की तिथि से** आईसी-सीपीडी चार्जिंग केबल सहित ऑन-बोर्ड चार्जर का फिटमेंट, जिसमें कम-से-कम पीसीबी पर इलेक्ट्रॉनिक घटकों, सेमिकंडक्टर्स तथा कनेक्टर्स का फिटमेंट, वायरिंग, कनेक्टर का फिटमेंट, हीट-सिंक फिटमेंट, एनक्लोजर फिटमेंट तथा सॉफ्टवेयर/फर्मवेयर की फ्लैशिंग सम्मिलित हो, देश में किया जाएगा।

ई-एम्बुलेंस पीएमपी की अतिरिक्त शर्तें

1. ई-एम्बुलेंस के सभी अन्य घटकों का विनिर्माण देश में किया जाएगा। उनके घरेलू विनिर्माण के आकलन हेतु परीक्षण एजेंसी अलग से दिशानिर्देश जारी करेंगी।
2. एकीकृत इकाई, जिसमें एक से अधिक पीएमपी घटक सम्मिलित हों (उदाहरणार्थ, डीसी-डीसी कन्वर्टर, ऑन-बोर्ड चार्जर तथा इन्वर्टर सहित मोटर कंट्रोलर से युक्त 3-इन-1 फिटमेंट इकाई), के मामले में अनुपालन के सत्यापन हेतु प्रत्येक पीएमपी घटक का पृथक रूप से पीएमपी सत्यापन किया जाएगा।
3. “विनिर्माण” की परिभाषा वही होगी जो सीजीएसटी एक्ट, 2017 में निर्दिष्ट है।

4. पीएमपी घटकों तथा ई-एम्बुलेंस के अन्य सभी घटकों (अर्थात् पीएमपी घटकों एवं अन्य वाहन घटकों के उप-भागों सहित) का एक ही आपूर्तिकर्ता से पूर्णतः विघटित अवस्था (सीकेडी फ़ॉम) में आयात की अनुमति नहीं होगी।
5. ई-एम्बुलेंस में स्थापित चिकित्सा उपकरणों को इस पीएमपी के अंतर्गत स्वदेशीकरण की अपेक्षा से बाहर रखा जाएगा।

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2026

S.O. 3191(E).— PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM E-DRIVE) Scheme.

Background

1. The PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement ("PM E-DRIVE" or "the Scheme") was notified by Ministry of Heavy Industries vide S.O.4259 (E) dated 29th September 2024 as amended from time to time.
2. This notification is being issued specifically for electric ambulances ("e-ambulances") and it should be read in conjunction with the Scheme. This notification will be in effect from the date of its publication in the Official Gazette.

Eligibility

3. The following categories of e-ambulances, as defined in the Automotive Industry Standards AIS-125 (Part 1): Constructional and Functional Requirements for Road Ambulances, notified under CMVR, will be eligible for the Demand Incentives under the Scheme:
   a. Patient Transport Vehicle (PTV) or "Type B",
   b. Basic Life Support (BLS) Ambulance or "Type C", and
   c. Advanced Life Support (ALS) Ambulance or "Type D"
4. e-ambulances should comply with AIS 145 (Additional Safety features for Category M & N Vehicles), AIS 038 (Rev 2) (Specific Requirements of Electric Power Train of Vehicles), and such ambulance related standards, guidelines or regulations as may be approved or issued by Ministry of Road Transport & Highways (MoRTH) and Ministry of Health & Family Welfare (MoHFW), from time to time.
5. Departments of the Central and State governments and their agencies/PSUs shall also be eligible for the demand incentive. These incentives will be in addition to other forms of support availed through National Health Mission or other government-run schemes/programs.
6. Eligibility for demand incentive under PM E-DRIVE Scheme shall not, by itself, be construed as operational approval for deployment under NAS/NHM. For such deployment, procuring agencies shall ensure compliance with applicable MoHFW/National Ambulance Services (NAS) operational guidelines and ambulance fit-out requirements.
7. The performance & efficiency eligibility criteria for pure e-ambulances will be as per Annexure-3B.
8. The target number of vehicles to be supported, incentive per kWh, total fund support from MHI and other details will be as per Annexure-4B.

Demand Incentive

9. Ex-factory price of e-ambulance shall be corresponding to requirements as per AIS 125 (Part 1) notified under CMVR. Any additional components/systems/equipment provided in the e-ambulance shall be invoiced separately and shall not be included in the ex-Factory price of the e-ambulance. Undertaking to this effect shall be provided by the vehicle manufacturer.
10. The Demand Incentive to be provided to e-ambulances will be lower of the following:
    a) ₹ 30,000 multiplied by the battery capacity in kilowatt-hour (kWh) and
    b) 35% of the ex-factory price of the vehicle.

Conditions to avail Demand Incentives

11. Phased manufacturing programme (PMP) for e-ambulances is mentioned in Annexure-5B.

12. The warranty requirement for e-ambulances shall be as per Table 1 below:

Table 1 Minimum warranty for e-ambulances (Type B, C, D)

Sr. No.	Category	Minimum warranty		
		Battery (years or kms, whichever is earlier)	Motor (years or kms, whichever is earlier)	Vehicle (years or kms, whichever is earlier)
1	e-ambulances (Pure Electric) based on M1 or M2 or M3 category	5 yrs or 1,25,000 kms	5 yrs or 1,25,000 kms	5 yrs or 1,25,000 kms

[F. No. 12(29)/2025-AEI(31016)]

Dr. HANIF QURESHI, Addl. Secy.

Annexure-3B

Performance & Efficiency Eligibility Criteria for e-Ambulance under PM E-DRIVE Scheme

Table-1 : Performance & Efficiency Criteria for Pure Electric e-ambulance (based on vehicle of M1/M2 category)

Sr. No.	Vehicle Segment*1	Vehicle Category*1	Vehicle Model Eligibility Criteria			
			Minimum Range*2 (km)	Maximum Electric Energy Consumption*2 (kWh/100 km)	Minimum Max Speed*3 (km / hr)	Minimum Acceleration*3 (m/s2)
1	e-ambulance (Type B, C, D)	M1 (Length less than 4 m)	140	Not Exceeding 15	70	1.04
		M1 (Length >= 4 m)	140	Not Exceeding 20	70	1.04
2	e-ambulance (Type B, C, D)	M2	140	Not Exceeding 50	70	1.04

Note:

*1 As defined in the Central Motor Vehicles Rules (CMVR), 1989 and type approved as per these rules amended from time to time.

*2 As per applicable test standard / Procedure mentioned in CMVR, 1989.

*3 Measurement shall be carried out at Gross Vehicle weight (GVW)

Table-2: Performance & Efficiency Eligibility Criteria for Pure Electric e-ambulance (based on vehicle of M3 category)

Sr. No.	Vehicle Segment*1	Vehicle Category*1	Vehicle Model Eligibility Criteria					
			Minimum Range*2 (km)	Minimum Range*3 (km)	Maximum Electric Energy Consumption *4 (kWh/100 km)	Minimum Max Speed*5 (km / hr)	Minimum Acceleration *5 (m/s2)	Minimum Gradeability *5 (Degree)
1	e-ambulance (Type B, C, D)	M3 (length 9m and below)	140	120	Less than 100	70	0.8	9.7 (17%)

2	e-ambulance (Type B, C, D)	M3 (length above 9m and up to 12m)	140	120	Less than 140	70	0.8	9.7 (17%)

Note:

*1 As defined in the Central Motor Vehicles Rules (CMVR), 1989 and type approved as per these rules amended from time to time.

*2 As per applicable test standard / Procedure mentioned in CMVR, 1989.

*3 Measurement shall be carried out at Gross Vehicle Weight (GVW) and HVAC/ VAC (if fitted in the vehicle) in operation (set temperature 24 ± 4 deg C)

*4 Measurement shall be carried out as per PM E-DRIVE Eligibility Assessment Procedure

*5 Measurement shall be carried out at Gross Vehicle weight (GVW)

Annexure-4B

Demand Incentives for e-ambulances, likely number of e-ambulances to be supported and other details.

Sr. No.	Vehicle segment	Indicative number of vehicles to be supported		Incentive for vehicles	Total fund support from MHI (₹ crore)
		FY 2026-27	FY 2027-28		
1	e-ambulances	1,797	2,014	₹30,000/kWh*	500

*Demand Incentive to be provided to e-ambulances will be lower of the following:

a) ₹30,000 multiplied by the battery capacity in kilowatt-hour (kWh) and

b) 35% of the ex-factory price of the vehicle.

Annexure-5B

PMP for Vehicle Category e-ambulance- Type B, C, D (Pure Electric)

Sr. No.	PMP Component	PMP Requirement (based on vehicle of M1/M2 category)	PMP Requirement (based on vehicle of M3 category)
1	**HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning System) (if fitted)**	**From the Date of Notification** Manufacturing of HVAC which at least includes fitment of blowers, fitment of electric compressor, fitment of chiller unit, fitment of heater (if provided), fitment of circulation vents, fitment of filter, fitment of control panel/unit, fitment of HMI console shall be domestically performed.	**From the Date of Notification** Manufacturing of HVAC which at least includes fitment of blowers, fitment of electric compressor, fitment of chiller unit, fitment of heater (if provided), fitment of circulation vents, fitment of filter, fitment of control panel/unit, fitment of HMI console shall be domestically performed.
2	**Electric Compressor for Brake (if fitted)**	**From the Date of Notification** Manufacturing of Electric compressor for brake which at least includes, cable fitment, connector fitment, heat- sink fitment, enclosure fitment, fitment of motor, scroll/reciprocating/vane/screw fitment shall be domestically performed.	**From the Date of Notification** Manufacturing of Electric compressor for brake which at least includes, cable fitment, connector fitment, heat- sink fitment, enclosure fitment, fitment of motor, scroll/reciprocating/vane/screw fitment shall be domestically performed.
3	**Charging Inlet CCS2**	**From the Date of Notification** Manufacturing of Charging inlet which at least includes contact pin fitment,	**From the Date of Notification**

Sr. No.	PMP Component	PMP Requirement (based on vehicle of M1/M2 category)	PMP Requirement (based on vehicle of M3 category)
		cable integration, housing fitment shall be domestically performed.	Manufacturing of Charging inlet which at least includes contact pin fitment, cable integration, housing fitment shall be domestically performed.
4	**Traction battery pack**	**From the Date of Notification** Manufacturing of traction battery pack which at least includes cell-to-cell connections, bus bar fitment, sensors mounting, wiring and crimping, connector fitment, safety devices fitment, BMS and thermal management system integration, pressure release valves fitment, enclosure fitment shall be domestically performed. Import of battery modules shall not be permitted.	**From the Date of Notification** Manufacturing of traction battery pack which at least includes cell-to-cell connections, bus bar fitment, sensors mounting, wiring and crimping, connector fitment, safety devices fitment, BMS and thermal management system integration, pressure release valves fitment, enclosure fitment shall be domestically performed.
5	**Battery Management System (BMS)**	**With effect from 1st March 2027** Manufacturing of BMS which at least includes assembly of electronic components, semiconductors, connectors on the PCB, wiring, connector fitment, heat- sink fitment (if provided), enclosure fitment, software/firmware flashing shall be domestically performed. Up to 28th February 2027, import of BMS may be permitted.	**From the Date of Notification** Manufacturing of BMS which at least includes assembly of electronic components, semiconductors, connectors on the PCB, wiring, connector fitment, heat- sink fitment (if provided), enclosure fitment, software/firmware flashing shall be domestically performed.
6	**DC – DC converter**	**With effect from 1st September 2026** Manufacturing of DC – DC converter which at least includes integration of assembled PCB (PCBA), wiring and crimping, connector fitment, heat- sink fitment, enclosure fitment, software/firmware flashing shall be domestically performed. **With effect from 1st March 2027** Manufacturing of DC – DC converter which at least includes assembly of electronic components, semiconductors, connectors on the PCB, wiring and crimping, connector fitment, heat- sink fitment, enclosure fitment, software/firmware flashing shall be domestically performed. Up to 31st August 2026, import of DC-DC converter may be permitted.	**From the Date of Notification** Manufacturing of DC – DC converter which at least includes assembly of electronic components, semiconductors, connectors on the PCB, wiring and crimping, connector fitment, heat- sink fitment, enclosure fitment, software/firmware flashing shall be domestically performed.
7	**Vehicle Control Unit**	**With effect from 1st September 2026** Manufacturing of Vehicle control unit (VCU) which at least includes assembly	**From the Date of Notification** Manufacturing of Vehicle control unit (VCU) which at least includes assembly of electronic

Sr. No.	PMP Component	PMP Requirement (based on vehicle of M1/M2 category)	PMP Requirement (based on vehicle of M3 category)
		of electronic components, semiconductors, connectors on the PCB, wiring, connector fitment, heat-sink fitment, enclosure fitment, software/firmware flashing shall be domestically performed.	components, semiconductors, connectors on the PCB, wiring, connector fitment, heat- sink fitment, enclosure fitment, software/firmware flashing shall be domestically performed.
8	**Traction Motor**	**With effect from 1st September 2026** Manufacturing of traction motor which at least includes fitment of rotor assembly into motor, fitment of stator assembly into motor, shaft fitment, bearing fitment, enclosure fitment, connectors fitment, cables fitment shall be domestically performed. **With effect from 1st March 2027** Manufacturing of traction motor which at least includes magnet fitment, fitment of rotor assembly into motor, fitment of stator assembly into motor, shaft fitment, bearing fitment, enclosure fitment, connectors fitment, cables fitment shall be domestically performed.	**With effect from 1st September 2026** Manufacturing of traction motor which at least includes magnet fitment, fitment of rotor assembly into motor, fitment of stator assembly into motor, shaft fitment, bearing fitment, enclosure fitment, connectors fitment, cables fitment shall be domestically performed.
9	**Traction Motor controller including inverter**	**With effect from 1st September 2026** Manufacturing of Traction Motor controller including inverter which at least includes integration of assembled PCB (PCBA), high voltage connectors fitment, cables fitment, heat- sink fitment, enclosure fitment, software/firmware flashing shall be domestically performed. **With effect from 1st March 2027** Manufacturing of Traction Motor controller including inverter which at least includes assembly of electronic components, semiconductors, connectors on the PCB, high voltage connectors fitment, cables fitment, heat-sink fitment, enclosure fitment, software/firmware flashing shall be domestically performed. Up to 31st August 2026, import of traction motor controller including inverter may be permitted.	**From the Date of Notification** Manufacturing of Traction Motor controller including inverter which at least includes assembly of electronic components, semiconductors, connectors on the PCB, high voltage connectors fitment, cables fitment, heat-sink fitment, enclosure fitment, software/firmware flashing shall be domestically performed.
10	**Instrument Cluster**	**From the Date of Notification** Manufacturing of Instrument Cluster which at least includes assembly of electronic components, semiconductors, connectors on the PCB, display unit, wiring, connector fitment, heat- sink	**From the Date of Notification** Manufacturing of Instrument Cluster which at least includes assembly of electronic components, semiconductors, connectors on the PCB, display unit, wiring, connector fitment, heat- sink fitment, enclosure fitment,

Sr. No.	PMP Component	PMP Requirement (based on vehicle of M1/M2 category)	PMP Requirement (based on vehicle of M3 category)
		fitment, enclosure fitment, software/firmware flashing shall be domestically performed.	software/firmware flashing shall be domestically performed.
11	**On Board Charger along with IC-CPD charging cable**	**With effect from 1st September 2026** Assembly of On-Board Charger along with IC-CPD charging cable which includes integration of assembled PCB (PCBA), wiring, connector fitment, heat- sink fitment, enclosure fitment, software/firmware flashing shall be domestically performed. **With effect from 1st March 2027** Assembly of On-Board Charger along with IC-CPD charging cable which includes assembly of electronic components, semiconductors, connectors on the PCB, wiring, connector fitment, heat- sink fitment, enclosure fitment, software/firmware flashing shall be domestically performed. Up to 31st August 2026, import of on-board charger along with IC-CPD cable may be permitted.	**From the Date of Notification** Assembly of On-Board Charger along with IC-CPD charging cable which includes assembly of electronic components, semiconductors, connectors on the PCB, wiring, connector fitment, heat- sink fitment, enclosure fitment, software/firmware flashing shall be domestically performed.

Additional Conditions of e-ambulance PMP

1. All other Components of e-ambulance shall be domestically manufactured. Testing agencies shall issue separate guidelines for assessing their domestic manufacturing.
2. In the case of integrated unit consisting of multiple PMP components (e.g. 3-in-1 combo unit consisting of DC-DC converter, on-board charger and motor controller including inverter), PMP verification for compliance shall be carried out separately for individual PMP component.
3. Definition of "manufacture" shall be as defined in CGST Act 2017.
4. Import of PMP components and all other components of e-ambulance in CKD form (child parts of PMP components and other vehicle components) from single supplier shall not be permitted.
5. Medical equipment installed in the e-ambulance shall be excluded from the indigenisation requirement of this PMP.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA